न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 6/2022

GCMS NO 2022/38

1. हरिकिशन पुत्र भोरया
2. विमला पुत्री सुक्का
3. मोतीलाल पुत्र सुक्का जातियान बैरवा निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर
4. अंगूरी देवी पत्नि नन्दूराम जाति जाटव निवासी भालपुर तहसील वजीरपुर
5. माया पुत्री भौरया जाति बैरवा निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर
6. श्रीराम पुत्र सुक्का जाति बैरवा निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर
7. रामनिवास पुत्र सुक्का जाति बैरवा निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर
8. मुरारी लाल पुत्र मनोहरी
9. मनोहरी पुत्र हरपाल्या जातियान बैरवा निवासीयान परीता तहसील व जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रेखा
2. भगवती पुत्र रेखा
3. भीमसिह पुत्र रेखा
4. विमला पुत्री रेखा
5. सरवती पुत्री रेखा
6. अंकित पुत्र अजय नाबालिंग जरिये संरक्षक मॉ श्रीमती पूजा बेवा अजय जाति बैरवा निवासी वजीरपुर
7. कृष्णा पुत्री अजय नाबालिंग जरिये संरक्षक मॉ श्रीमती पूजा बेवा अजय जाति बैरवा निवासी वजीरपुर
8. पूजा पत्नि अजय जाति बैरवा निवासी वजीरपुर
9. राहुल पुत्र अजय अजय नाबालिंग जरिये संरक्षक मॉ श्रीमती पूजा बेवा अजय जाति बैरवा निवासी वजीरपुर
10. बाबूलाल पुत्र रामसिह
11. महेश पुत्र रामसिह
12. रमेश पुत्र रामसिह
13. रवि पुत्र रामसिह
14. सुआबाई पुत्र रामसिह
15. विशम्भर पुत्र रामस्वरूप
16. सुरेश पुत्र रामफल
17. रामदास पुत्र रामस्वरूप
18. महेश पुत्र मनोहरी
19. गिल्लू पुत्र मनोहरी

(क्रम 10 से 19) जातियान बैरवा निवासीयान बडौली तहसील वजीरपुर

20. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील वजीरपुर
21. सब रजिस्ट्रार तहसील वजीरपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:07:08 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पो०

(अपील विरूद्व मु0नं0 225/2008 निर्णय व डिकी दिनांक 25.9[illegible] सहायक कलक्टर, गंगापुर सिटी

अभिभाषक अपीला0 श्री मोहम्मद इस्लाम,श्री शिवचरण सैनी

अभिभाषक रैस्पो0 श्री वृद्विचंद शर्मा

दिनांक 17.12.2024

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला० की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 25.9.19 न्यायालय सहायक कलक्टर, गंगापुर सिटी पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पो० रेखा ने एक वाद पत्र आशय का पेश किया कि वादी की गैर खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि ख०न० 2693 रकबा 1.97 है० ग्राम वजीरपुर मे स्थित है। उक्त भूमि पर वादी के अलावा अन्य किसी व्यक्ति का कोई ताल्लुक वास्ता नही है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के स्वर्गीय पिता भोरया पुत्र सुका द्वारा एक दावा भोरया व सुक्का बनाम रेखा दावा संख्या 70/95 उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी मे पेश किया था जो एक तरफा मे दिनांक 23.10.97 को डिक्री किया गया। जिसकी अपील वादी रेखा ने न्यायालय हाजा मे पेश की । जिसका निर्णय दिनांक 13.10.05 को किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जाकर पत्रावली पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड की जाकर तनकी बनाकर निर्णय पारित करने के आदेश दिये गये। जिसकी पालना मे प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर संख्या 38/06 भोरया वगै० बनाम रेखा दर्ज किया गया तथा वादीगण को सम्मन जारी किये गये। वादीगण को जारी सम्मनो पर तामिल कुन्निदा की रिपोर्ट के अनुसार भोरया व सुक्का के फौत होने की सूचना अधिनस्थ न्यायालय को प्राप्त हुई। जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दावा संख्या 38/06 को अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज कर दिया गया अर्थात अधिनस्थ न्यायालय एस डी ओ गंगापुर सिटी की डिक्री दिनांक 23.10.97 व न्यायालय हाजा का निर्णय 13.10.05 निरस्त हो गये। वादी भूमि ख०न० 2693 रकबा 1.97 है० पर लगातार काबिज काश्त है। तथा उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। रेवेन्यू कर्मचारियो ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के प्रभाव मे नामा०संख्या 1021 विधि विरुद्ध रूप से भोरया व सुक्का के नाम तस्दीक कर दिया। जबकि अधिनस्थ न्यायालय व न्यायालय हाजा के निर्णय निरस्त हो चुका है। उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही अवैधानिक तथा कानूनन प्रभावहीन बोईड एवं इनिशियो है। जो निरस्त की जाकर भूमि का वादी को खातेदार घोषित करने के लिए व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के लिए दावा करना आवश्यक हुआ। उक्त भूमि की जमाबंदी की नकल वादी ने दिनांक 7.2.08 को प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि ख०न० 2693 की गैरखातेदारी वादी से हटाकर प्रतिवादी न० 9 ने भोरया व सुक्का के नाम दर्ज कर दी है। जबकि भोरया व सुक्का का इस भूमि से कोई वास्ता नही रहा है। प्रतिवादीगण इस भूमि को खातेदारी से गैर खातेदारी मे परिवर्तन कर प्लाट काटने पर आमादा है वादी ने मना किया तो प्रतिवादीगण ने जान से मारने की धमकी दी। इस प्रकार प्रतिवादीगण अवैध नामा०संख्या 1021 के आधार पर वादी के अधिकारो से बंचित करना चाहते है इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है। विवादित भूमि का अवैध रूप से खोला गया नामा०रद्दद्व किया जाकर वादी को खातेदार घोषित किया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद पत्र वादी के पक्ष मे डिक्री किये जाने से व्यथित होकर प्रतिवादीगण/अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो० को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का आदेश खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने से निरस्त किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि वर्तमान ख०न० 2693 रकबा 1.97 है० साबिक ख०न० 198/1/5 व 198/1/6 से मिलकर बना है। जो भोरया व सुक्का की खातेदारी भूमि है। उसमे रेखा का कोई संबंध नही रहा है। उसके बाबजूद भी अधिनस्थ न्यायालय ने दावा डिक्री कर कानूनी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:07:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

इस तथ्य पर भी गौर नही किया कि जमाबंदी मे दर्ज भौरया के वारिसान हरिकिशन पुत्र भोरया, कमला पुत्री भौरया, माया पुत्री भोरया को दावे मे पक्षकार नही बनाया है। इसी प्रकार सुक्का के वारिसान मे से उसकी पुत्री विमला जो रिकार्डेड खातेदार थी उसको भी दावे मे पक्षकार नही बनाया गया इसी प्रकार जगमोहन ने अपने हिस्से को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र से अंगूरी देवी पत्नि नन्दूराम जाति जाटव निवासी भालपुर को विकय कर दिया तथा उसके हक मे नामा0संख्या 1683 दिनांक 5.11.12 को तस्दीक हो चुका था उसके बाद भी दावे मे पक्षकार नही बनाया गया है। उनकी गैर मौजूदगी मे एक तरफा मे निर्णय व डिकी जारी की गई है। जो निरस्त योग्य है। जिसकी जानकारी अपीलांट को दिनांक 17.12.21 को जमाबंदी की नकल प्राप्त करने पर हुई। अतःअपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय व डिकी अपास्त फरमाई जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे तर्क दिया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील लगभग 3 वर्ष मुद्दत मियाद बाहर पेश की गई है जो खारिज योग्य है। रेस्पो0/वादी की गैर खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि ख0न0 2693 रकबा 1.97 है0 ग्राम वजीरपुर मे स्थित है। उक्त भूमि पर रेस्पो0के अलावा अन्य किसी व्यक्ति का कोई ताल्लुक वास्ता नही है। अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के स्वर्गीय पिता भोरया पुत्र सुका द्वारा एक दावा भोरया व सुक्का बनाम रेखा दावा संख्या 70/95 उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी मे पेश किया था जो एक तरफा मे दिनांक 23.10.97 को डिकी किया गया। जिसकी अपील वादी रेखा ने न्यायालय हाजा मे पेश की । जिसका निर्णय दिनांक 13.10.05 को किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी निरस्त की जाकर पत्रावली पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड की जाकर तनकी बनाकर निर्णय पारित करने के आदेश दिये गये। जिसकी पालना मे प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर संख्या 38/06 भोरया वगै0 बनाम रेखा दर्ज किया गया तथा वादीगण को सम्मन जारी किये गये। वादीगण को जारी सम्मनो पर तामिल कुन्निदा की रिपोर्ट के अनुसार भोरया व सुक्का के फौत होने की सूचना अधिनस्थ न्यायालय को प्राप्त हुई। जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दावा संख्या 38/06 को अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज कर दिया गया अर्थात अधिनस्थ न्यायालय एस डी ओ गंगापुर सिटी की डिकी दिनांक 23.10.97 व न्यायालय हाजा का निर्णय 13.10.05 निरस्त हो गये। रेस्पो/वादी भूमि ख0न0 2693 रकबा 1.97 है0 पर लगातार काबिज काश्त है। तथा उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/रेस्पो0 की खातेदारी की आराजीयात बखूबी सिद्व माना गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दावे मे तनकीयात कायम की जाकर प्रत्येक तनकी पर विवेचन विश्लेषण करने के उपरान्त ही निर्णय व डिकी पारित की गई है। जो विधि के अनुरूप है। इस प्रकार अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया । जिससे यह तथ्य सामने आये कि अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी मे एक दावा भोरया व सुक्का बनाम रेखा दावा संख्या 70/95 पेश किया गया था। जो एक तरफा मे दिनांक 23.10.97 मे डिकी किया गया। जिसकी अपील रेस्पो0 के पिता रेखा द्वारा न्यायालय हाजा मे की गई जिसे न्यायालय हाजा द्वारा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी अपास्त किया जाकर प्रकरण की पुनः सुनवाई हेतु दिनांक 13.10.05 को रिमाण्ड किया गया। जिसकी पालना मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा संख्या 38/06 पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर भौरया व सुक्का को नोटिस जारी किये गये। भौरया व सुक्का को जारी किये गये नोटिसो पर भोरया व सुक्का के फौत होने की सूचना प्राप्त होने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज कर दिया गया। जिस पर वादी/रेस्पो0 द्वारा पुनः नये सिरे से अपीलाधीन दावा संख्या 225/08 दायर किया गया। जिसमे पारित निर्णय दिनांक 25.9.19 के विरूद्व फिर से यह अपील पेश की गई

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:07:08 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व मे दावा संख्या 70/95 का निर्णय भोरया व सुक्का के पक्ष मे किया गया। तत्पश्चात दावा संख्या 225/08 रेखा के पक्ष मे डिक्री कर दिया गया। इससे स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात बाबत अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दोनो पक्षो को दो अलग अलग निर्णयो से डिक्री दी गई है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दोनो निर्णय व डिक्री विरोधाभासी प्रतीत होती है। क्योकि विवादित आराजीयात के बाबत दो अलग अलग वादीगणो के पक्ष मे अलग अलग डिक्री पारित की गई है जबकि विवादित आराजीयात समान है जिसके दो अलग अलग खातेदार किस प्रकार हो सकते है। विवादित आराजीयात ख.न. 2693 रकबा 1.97 है0 मे से हिस्सा 1/2 भाग का बेचान अपीलांट संख्या 3 को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र किया जा चुका है। जिसका नामा0संख्या 1683 दिनांक 5.11.12 से अपीलांट संख्या 3 अगूरी देवी पत्नि नन्दूराम जाति जाटव के नाम स्वीकार हुआ है। इस प्रकार अपीलांट संख्या 3 अंगूरी का विवादित भूमि मे हक निहित है। जिसे भी अधिनस्थ न्यायालय मे वादी द्वारा पक्षकार नही बनाया गया है। इस प्रकार अपीलांट की अपील रिमाण्ड योग्य है।

अतःअपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होनें से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी के प्रकरण संख्या 225/08 निर्णय व डिक्री दिनांक 25.9.19 को अपास्त किया जाता है। तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे अपीलांट संख्या 3 अंगूरी देवी पत्नि नन्दूराम को आवश्यक पक्षकार बनाया जाकर उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी के न्यायालय मे दिनांक 13.01.2025 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:07:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner